

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

(सूचना प्रकोष्ठ)



क्रमांक :- प1(63)/ADR/RTI Cell/2011/ 150

दिनांक :- 10/5/11


परिपत्र

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी पत्र क्रमांक :- प.20(85)प्रसु/सूअप्र/09 दिनांक 31/03/2011 की छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार के तहत किये जाने वाले पत्राचार, जवाब इत्यादि पर पहचान चिह्न (Iconic LOGO) का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाना है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि RTI पत्राचार/जवाब इत्यादि पर पहचान चिह्न (Iconic LOGO) का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाये। पहचान चिह्न (Iconic LOGO) का नमूना संलग्न पत्र पर अंकित है।

सूचना का अधिकार से संबंधित स्टेशनरी पर भी पहचान चिह्न प्रिंट करवाया जाये। राजस्थान आवासन मण्डल के प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्तानुसार पालना की जाए। RTI पत्राचार, जवाब इत्यादि पर पहचान चिह्न (Iconic LOGO) अवश्य अंकित करावें।


भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
3. सचिव/वि. स. एवं मु. लेखाधिकारी /मु. संपदा प्रबंधक/निदेशक (विधि), अति. मुख्य नगर नियोजक/विशेषाधिकारी (भूमि)/सहायक निदेशक (अभिलेख)/उप सचिव/जनसंपर्क अधिकारी/ उप आवासन आयुक्त (Q.C.) /संपदा प्रबंधक (भूमि) रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, द्वितीय, तृतीय व (P&M), रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा. आ. म.
6. तकनीकी सहायक, वृत्त-....., रा. आ. म.
7. आवासीय अभियंता, खण्ड-....., रा. आ. म.
8. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) उपखण्ड-....., रा. आ. म.
9. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा. आ. म. (मु.), जयपुर :- मण्डल की वेबसाइट पर उक्त आदेश को Uploaded मय पहचान चिह्न के करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


सचिव 9/5

-: सूचना प्रकोष्ठ :-

जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005
पी.बी.एक्स. 2740812, 2740113, 2740581, EXT.215
सूचना प्रकोष्ठ दूरभाष-2743627

ई-मेल info@rhbonline.com वेबसाइट www.rhbonline.com

ACOPR/20-167
11/5/11



TA.

पत्राचार/सूचना का अधिकार विभाग
REPRM/ACP
12/5/11